न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या : 08 / 2023 GCMS NO-2023/08

प्रार्थी		अप्रार्थी
वेद प्रकाश पूर्वीया, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।	बनाम	1. श्री अनिल कुमार लड्डा पुत्र श्री लीलाधर उम्र 29 वर्ष जाति माहेश्वरी निवासी पुरानी आबादी भणियाणा जिला जैसलमेर (मौके पर विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स अनिल एण्ड कंपनी तहसील भणियाणा जैसमलेर। 2. पारसमल टाटिया प्रोपेराईटर मैसर्स रिषभ ट्रेडर्स दुकान नं वी 3 मण्डोर रोड मण्डोर जोधपुर।342007 3. मनोज अग्रवाल प्रोपेराइटर मैसर्स ओरिया विनोद मार्केटिग आजाद मैदान आबुरोड सिरोही 307026 4. अशोक कुमार काली दास भारतीय पुत्र श्री कालीदास भारतीय सी 904 वैष्णों देवी स्काई वेष्णोदवी रोड जहांगीर पुरा वन काला रान्डेर सुरत गुजरात 395005 मैसर्स श्री वीर मिल्क प्रोडक्टस 108 हनी इन्ड मासमा ऑलपड सूरत गुजरात 394540 5. मैसर्स श्री वीर मिल्क प्रोडक्टस 108 हनी इन्ड मासमा ऑलपड सूरत गुजरात 394540

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित :—

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से नारायण खत्री उपस्थित।

दिनांकः 21.06.2023

:: निर्णय ::

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थी के विरूद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.01.2022 को दोपहर 02.00 पीएम पर दौरान निरीक्षणार्थ अनिल एण्ड कंपनी तहसील भणियाणा जैसमलेरका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनिल एण्ड कंपनी तहसील भणियाणा जैसमलेरपर विक्रेता 1. श्री अनिल कुमार लड्डा पुत्र श्री लीलाधर उम्र 29 वर्ष जाति माहेश्वरी निवासी पुरानी आबादी भणियाणा जिला जैसलमेर (मौके पर विक्रेता) कारोबार कर रहा था जिसका विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रतियां संलग्न है। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर गाय का घी (ओरिया) 500 एमएल के रखे मिले जिसके मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात गाय का घी (ओरिया) 04

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर

डिब्बे नमूने वास्ते लिये, जिसके पेटे 720/- रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। खरीद सुदा गाय का घी (ओरिया) को मौके पर लेवल तैयार कर प्रत्येंक नमूना भाग पर चिपकाएं एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर एन-1259 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और शिशियों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुदा पेपर स्लिप एन-1259 नियमानुसार चारों नमूनो पर नीचे से उपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लिप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन-1259 गाय का घी (ओरिया) लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागो को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहो को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैनें स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 06 की 06 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 06 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को धर्मेन्द्र सिंह प्रयोगशाला सहायक के द्वारा दिनांक 24.01.2022 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नम्बर 06 की प्रति अलग से लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्यविश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 06 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को दिनांक 22.01.2022 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/3209 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./306/Act/2022/374 दिनांक 18.02.2022 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड एवं कोन्ट्रावेन्स पाया गया। जिनकी जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/629 दिनांक 16.01.2023 के द्वारा आवेदक खाद्यसुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में विक्रेता 1.अनिल कुमार लड्डा पुत्र श्री लीलाधर उम्र 29 वर्ष जाति माहेश्वरी निवासी पुरानी आबादी भणियाणा जिला जैसलमेर (मौके पर विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स अनिल एण्ड कंपनी तहसील भणियाणा जैसमलेर 2. पारसमल टाटिया प्रोपेराइटर मैसर्स रिषभ ट्रेडर्स दुकान नं 3 मडोर रोड मण्डोर जोधपुर 342007 3. मनोज अग्रवाल प्रोपेराइटर मैसर्स ओरिया विनोद मार्कटिग आजाद मैदान आबुरोड सिरोही 307026 4. अशोक कुमार काली दास भारतीय सी 904 वैष्णों देवी स्काई वेष्णोदवी रोड जहांगीर पुरा वन काला रान्डेर सुरत गुजरात 395005 मैसर्स श्री वीर मिल्क प्रोडक्टस 108 हनी इन्ड मासमा ऑलपड सूरत गुजरात 394540 5. मैसर्स श्री वीर मिल्क प्रोडक्टस 108 हनी इन्ड मासमा ऑलपड सूरत गुजरात 394540 ने सबस्टेण्डर्ड एवं कोन्ट्रावेन्स गाय का घी (ओरिया) का विक्रय करके खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

अप्रार्थी सं. 01 से 05 से की ओर से प्राप्त जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अप्राथी 01व 02 ने खाद्य पदार्थ गाय का घी (ओरिया) को अप्रार्थी संख्या 03 से खरीदा था जिसका बिल संलग्न। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 व 02 जानबूझकर हेराफेरी नही की गयी। भविष्य में ध्यान रखकर विक्रय करने का संकल्प लिया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

दोनों पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया एवं न्यायालय में हाजीर हुआ है। अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व प्रार्थी की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं L.S./306/Act/2022/374 दिनांक 18.02.2022 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड एवं कोन्ट्रावेन्स पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन मे साक्ष्य प्रस्तुत कर भविष्य में ध्यान रखने का संकल्प लिया। जिससे अप्रार्थीगण पर सबस्टेण्डर्ड एवं कोन्ट्रावेन्स स्तर के गाय का घी (ओरिया) खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिए दोष साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी 1. अनिल कुमार लड्डा पुत्र श्री लीलाधर उम्र 29 वर्ष जाति माहेश्वरी निवासी पुरानी आबादी भणियाणा जिला जैसलमेर (मौके पर विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स अनिल एण्ड कंपनी तहसील भणियाणा जैसमलेर 2. पारसमल टाटिया प्रोपेराइटर मैसर्स रिषभ ट्रेडर्स दुकान नं 3 मडोर रोड मण्डोर जोधपुर 342007 3. मनोज अग्रवाल प्रोपेराइटर मैसर्स ओरिया विनोद मार्केटिग आजाद मैदान आबुरोड सिरोही 307026 4. अशोक कुमार काली दास भारतीय सी 904 वैष्णों देवी स्काई वेष्णोदवी रोड जहांगीर पुरा वन काला रान्डेर सुरत गुजरात 395005 मैसर्स श्री वीर मिल्क प्रोडक्टस 108 हनी इन्ड मासमा ऑलपड सूरत गुजरात 394540 5. मैसर्स श्री वीर मिल्क प्रोडक्टस 108 हनी इन्ड मासमा ऑलपड सूरत गुजरात 394540 फर्म के सबस्टेण्डर्ड एवं कोन्ट्रावेन्स स्तर का गाय का घी (ओरिया) खाद्य पदार्थ विक्रय में उपयोग के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी सं. 01 से 05 कुल पर 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। वाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर